झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सीएमपी सं. 365/2019

शकुंतला देवी

....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. उपायुक्त, चतरा
3. प्रखंड विकास अधिकारी, कान्हाचट्टी ब्लॉक, डाकघर-कनहचट्टी, थाना-राजपुर, जिला- चतरा
4. अंचलाधिकारी, कान्हाचट्टी ब्लॉक, डाकघर-कनहचट्टी, थाना-राजपुर, जिला- चतरा
5. बिनोद भूषण चौधरी
6. प्रदीप कुमार सिन्हा
7. राजन कुमार लाल
8. रूपेश कुमार सिन्हा
9. निशांत पराशर
10. प्रशांत पराशर

.... विपक्षी पार्टियाँ

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद

याचिकाकर्ता के लिए: श्री आनंद कु0 सिन्हा, अधिवक्ता

विपक्षी पार्टियों के लिए: श्री जे0एफ0 टोप्पो, एस0सी0-VII

5/17.03.2021 इस मामले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लिया गया है।

यह सिविल विविध याचिका, डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 3049/2017 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जो गैर-अभियोजन के कारण दिनांक 23.04.2019 के द्वारा खारिज कर दी गई थी।

श्री आनंद कु0 सिन्हा, याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि जिस दिन इस अदालत के समक्ष मामला सूचीबद्ध किया गया था, उस दिन याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ क्योंकि लिस्ट को याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा चिन्हित नहीं किया जा सकता था और उसके कारण, रिट याचिका को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दी गई।

वह आगे कहता है कि यदि रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा, तो याचिकाकर्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा और वह उपचार रहित हो जाएगा, इसलिए, रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जा सकता है।

श्री जे0एफ0 टोप्पो, विद्वान एस0सी0-VII विपरीत पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 3049/2017 की पुनःस्थापन में कोई आपत्ति नहीं करते हैं।

इस अदालत ने पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और उसमें दिए गए कारण को ध्यान में रखते हुए इस तथ्य पर भी विचार किया कि कोई निजी प्रतिवादी नहीं है, सिवाय इसके, कुछ प्रोफार्मा उत्तरदाता के, जिनके खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, ऐसे में रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 3049/2017 को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित करने के लिए इसे सही और उचित मानते हैं।

इसके मद्देनजर, यह सिविल विविध याचिका का निपटारा किया जाता है।

परिणामस्वरूप, रिट याचिका डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0 3049/2017 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया गया है।

(सुजीत नारायण प्रसाद, न्याया0)

रोहित/-